समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-08 /आ0प्र0, दिनांक 20-05-2014 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण, राहत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान, विपत्र कोर्ड- N2245021010001 मद में ₹ 60,00,000.00 (साठ लाख) मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3369 दिनांक 11-09-2014 द्वारा यह निदेशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण, राहत उप मुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि के विभिन्न लघु शीर्षो के अंतर्गत आवंटित की गयी राशि में से व्यय होने योग्य राशि को छोड़कर शेष राशि विभाग को यथाशीघ्र प्रत्यर्पित की जाय। वर्त्तमान में आलमनगर अंचल में ही मुफ्त सहाय्य वितरण के तहत नगद राशि प्रदान किया जाना है। अतएव अंचल अधिकारी, आलमनगर को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के अधीन निम्न प्रकार से राशि उपावंटित की जाती है तथा अवशेष राशि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना को प्रत्यर्पित की जाती है :-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	उपावंटन की राशि
1	अंचल अधिकारी, आलमनगर	₹ 20,00,000.00

उपावंटन की शर्त्ते :-

- यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2014-15 में अंचलों में संभावित बाढ़-2014 के निमित्त बाढ़ पूर्व तैयारी के लिए निः सहाय्यों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद में, निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाए, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाए। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15-03-2015 तक शीघ्र भेज दिया जाए।
- पूर्व आवंटित राशि, जिनकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाए, तो दिनांक 15-03-2015 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाए।

- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आंकड़ें के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 (वि0) (2) दिनांक 17-04-98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15-03-2015 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 392/आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 16.09.2014

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, आलमनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने तथा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Rmeena 16/09/14

जिलाधिकारी
मधेपुरा।